फार्म ई ई

कैरी -ऑन- बिजनेस लाइसेंस आवेदन

I. आवेदक कंपनी का पूरा नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में)

आवेदक कंपनी का नाम

पत्राचार का पता

पिन कोड

फैक्स

दूरभाष

ई-मेल

II. कंपनी पंजीयक पंजीकरण सं.

III(1) फैक्टरी का स्थान

पता

जिला

राज्य

पिन कोड

फैक्स

दूरभाष

ई-मेल

(2) कृपया चिह्नित करें कि क्या स्थान
(कृपया सही बाक्स पर √ का निशान लगाएं)

क. 1991 की जनगणना के अनुसार एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर के 25 कि.मी. के दायरे में है

हॉ ☐ नहीं ☐

ख. यदि हां, तो क्या यह 25.7.1991 से पहले स्थापित औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक भू-सम्पदा में स्थित है

हॉ ☐ नहीं ☐

IV. विनिर्माण की मदें (उप उत्पाद/ सह उत्पाद सहित)/
(आवश्यकता होने पर अतिरिक्त पृष्ठ इस्तेमाल किए जाएं)।

(क) मद का कोड (सभी आर्थिक गतिविधियों का राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी), 1998)

(ख) मद का विवरण

(ग) वार्षिक क्षमता | | | | | | | | | |

(घ) क्षमता की इकाई
एमटी/केएल/संख्या /
लाख रुपए/अन्य(विनिर्दिष्ट किया जाना है) | | | | | | | | | |

(ड.) एसएसआई पंजीकरण सं. दर्शाएं (यदि लागू हो)
(कृपया सत्यापित प्रति संलग्न करें) | | | | | | | | | |

V. पूंजीगत संरचना	
1. प्राधिकृत पूंजी	क.
इक्विटी	.... रुपए के प्रति .... शेयर का ..... रुपए लाभांश
अधिमान	.... रुपए के प्रति .... शेयर का ..... रुपए लाभांश
2. प्रदत्त पूंजी	ख.
इक्विटी	.... रुपए के प्रति .... शेयर का ..... रुपए लाभांश
अधिमान	.... रुपए के प्रति .... शेयर का ..... रुपए लाभांश

ग. शेयरधारिता का स्वरूप ग .

	इक्विटी				अधिमान			
	शेयर की संख्या	अंकित मूल्य	राशि	%	शेयर की संख्या	अंकित मूल्य	राशि	%
i) विदेशी (देश, दूरभाष/फैक्स सं. और ई-मेल सहित नाम और पता दें)								
ii. अनिवासी भारतीय व्यक्ति/ओसीबी (नाम और पता दूरभाष/फैक्स सं. और ई-मेल दें),								
(क) प्रत्यावर्तन लाभ सहित								
(ख) प्रत्यावर्तन लाभ के बिना								
iii. निवासी भारतीय व्यक्ति /अन्य, विदेशी (देश, दूरभाष/फैक्स सं. और ई-मेल सहित नाम और पता दें) .								
कुल योग								

VI. कृपया 'प्रभावी तिथि चिह्नित' करें अर्थात् वह तिथि जब से सीओबी लाइसेंस के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।

दि	दि		म	म		व	व	व	व

VII. स्थायी परिसंपत्ति का मूल्य (अर्जन के वास्तविक मूल्य पर आधारित) अर्थात् 'प्रभावी तिथि' पर भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी में निवेश।

(1) (i) भूमि

(ii) भवन

(iii) संयंत्र और मशीनरी

(क) आयातित

(ख) स्वदेश में निर्मित

कुल (क+ख)

(2) विगत पांच वर्षों के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में स्थायी परिसंपत्ति का मूल्य चिह्नित करें।

(क) पहला वर्ष

(ख) दूसरा वर्ष

(ग) तीसरा वर्ष

VIII. विगत तीन कैलेंडर वर्ष के दौरान उप-उत्पाद के उत्पादन सहित पिछला उत्पादन (प्रभावी तिथि के संदर्भ में)

मुख्य उत्पाद या उप-उत्पाद का नाम	मात्रा/मूल्य

IX. नियोजित स्टाफ और श्रमिक

	मुख्यालय	फैक्टरी	कुल
(क) प्रबंधकीय:			
(ख) पर्यवेक्षी : तकनीकी गैर-तकनीकी			
(ग) लिपिकीय :			
(घ) श्रमिक : कुशल अर्ध-कुशल अकुशल			
(ङ) अन्य वर्ग यदि कोई हों :			

X. भुगतान का विवरण (**2500*** रुपए देय हैं)

ड्राफ्ट सं.____

राशि (रु.) | | | | | | | |

ड्राफ्ट की तिथि | | | | | | | | | | | | |

____________________________पर आहरित ___________________पर देय

(बैंक का नाम)

***** डिमांड ड्राफ्ट वेतन एवं लेखा अधिकारी **,** औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के पक्ष में होना चाहिए जो भारतीय स्टेट बैंक**,** निर्माण भवन**,** नई दिल्ली पर देय हो।

घोषणा-पत्र

मैं /हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं/ करती हूं/ करते हैं/ कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं।

(आवदेक के हस्ताक्षर) : ....

(स्पष्ट अक्षरों में नाम) : ....

(हस्ताक्षरकर्ता का पद) : ....

स्थान : ....

	दि	दि		म	म		व	व	व	व
दिनांक										

कैरी -ऑन -बिजनेस लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन जमा करने वाले उद्यमियों के मार्ग-दर्शन के लिए नोट

(इस भाग में उद्यमियों के मार्ग-दर्शन के लिए सूचना निहित है और वे इसे अपने पास रखें, इसे आवेदन के साथ संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।)

1. इस फार्म का प्रयोग उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 13(क), 13(ख), 13(ग) और 29ख (2) के उपबंधों के तहत कैरी-ऑन-बिजनेस लाइसेंस (सीओबी) प्रदान करने के लिए आवेदन करने हेतु किया जाए।

2. आवेदन पांच अतिरिक्त प्रतियों सहित औद्योगिक सहायता सचिवालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया जाए।

3. आवेदन के साथ "भुगतान एवं लेखा अधिकारी, औद्योगिक विकास विभाग" के पक्ष में आहरित भारतीय स्टेट बैंक, निर्माण भवन शाखा, नई दिल्ली पर देय 2500/-रुपए (दो हजार पांच सौ रुपए मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट अवश्य होना चाहिए।

4. आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन प्रारूप विधिवत हस्ताक्षरित होना चाहिए तथा आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पदनाम/प्राधिकार स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

5. आवेदन प्राप्त होने पर एसआईए विशिष्ट संदर्भ संख्या के साथ एक पावती जारी करेगा। आवेदक को भविष्य में सभी प्रकार की पत्राचार में विशिष्ट संदर्भ संख्या का उल्लेख करना होगा।

6. आवेदक को निवेश और उत्पादन का ब्योरा देना होगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित हो।

7. यदि इकाई तकनीकी प्राधिकरणों और/अथवा राज्य उद्योग निदेशक के यहा पंजीकृत है, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र की नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए।

8. आवेदन की तीन प्रतियों के साथ विगत तीन वर्षों के तुलन पत्र संलग्न होने चाहिए।

9. आवेदक स्वामियों (प्रोपराइटर), साझेदारों, मालिकों या निदेशक मंडल का नाम व पता देगा।

10. संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य की गणना करते समय उसके वास्तविक मूल्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए, फिर चाहे संयंत्र एवं मशीनरी नई हो अथवा पुरानी।

11. संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य की गणना करते समय निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, नामत: :-

(i) उपकरणों की लागत जैसे औजार, सांचे, डाइ, मोल्ड तथा रखरखाव के लिए कल-पुर्जे और उपभोज्य भंडारों की लागत;

(ii) संयंत्र एवं मशीनरी की स्थापना की लागत ;

(iii) अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) उपकरणों और प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की लागत;

(iv) उपक्रम द्वारा राज्य विद्युत बोर्ड के विनियमों के अनुसार स्थापित जनरेशन सैट, अतिरिक्त ट्रासंफार्मर इत्यादि की लागत;

(v) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम अथवा राज्य लघु उद्योग निगम को दिए गए बैंक शुल्क और सेवा शुल्क ;

(vi) केबल, वायरिंग, बस बार, इलैक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल (अलग-अलग मशीनों पर लगने वाला नहीं), ऑयल सर्किट ब्रेकर/मिनीयेचर सर्किट ब्रेकर आदि की प्राप्ति अथवा स्थापना की लागत, जो कि संयंत्र एवं मशीनरी/ सुरक्षा उपायों के लिए विद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक रूप से प्रयोग किए जाते हैं ;

(vii) गैस उत्पादक संयंत्र की लागत;

(viii) देशी मशीनरी को विनिर्माण स्थल से फैक्टरी स्थल तक ले जाने के लिए परिवहन शुल्क (बिक्री कर, उप कर आदि जैसे करों को छोड़कर);

(ix) संयंत्र एवं मशीनरी की स्थापना के लिए तकनीकी जानकारी हेतु चुकाया गया शुल्क;

(x) ऐसे संग्रहण टैंकों की लागत, जिनमें कच्चा माल, तैयार उत्पाद रखा जाता है और जिसका विनिर्माण प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है; और

(xi) अग्नि शमन उपकरणों की लागत।

12. आयातित मशीनरी के मामले में, मूल्य की गणना करते समय निम्नलिखित को शामिल करना होगा, नामत :-

(i) आयात शुल्क (विविध खर्चे जैसे पत्तन से फैक्टरी स्थल तक परिवहन, पत्तन पर दिया गया विलंब शुल्क के अलावा)।

(ii) पोत परिवहन शुल्क

(iii) सीमा शुल्क निकासी प्रभार तथा बिक्री कर।